

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राज. जयपुर)  
क्रमांक : एफ 20(118)/आजमूस/पीएफसी/2017/1987-2106 दिनांक : 23/11/2017

जिला कलक्टर  
समस्त

विषय:- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत बावड़ियों के सन्दर्भ में।  
सन्दर्भ:- श्रीमान् मुख्य सचिव राजस्थान का पत्रांक एफ21(77)/आजमूस/  
मुमजस्वाअ/12526-654 दिनांक 16.11.2017

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रांक द्वारा आपको मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के समस्त गांवों में आने वाली समस्त बावड़ियों की जियो टैगिंग हेतु निर्देशित किया गया है। इस हेतु आप एम.जे.एस.ए. मोबाईल एप में उपलब्ध प्री-सर्वे माडल का उपयोग कर समस्त विद्यमान बावड़ियों की जियो टैगिंग कराना सुनिश्चित करावें तथा प्रत्येक चरण में जिन बावड़ियों के पुनर्द्धार की आवश्यकता है, उन प्रस्तावित बावड़ियों को जियो टैग कर जीर्णोद्धार प्रस्ताव मय लागत एवं तकमीना सहित आयुक्तालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। आयुक्तालय के अनुमोदन उपरान्त कार्यों की ए.एस.-एफ.एस. एम.जे.एस.ए स्टेट फण्ड से जारी कर कार्यों की कियान्वृत्ति सुनिश्चित करें।

(अनुराग मारद्वाज)  
आयुक्त

क्रमांक : एफ 20(118)/आजमूस/पीएफसी/2017/1987-2106 दिनांक : 23/11/2017  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ:-

1. विशिष्ट सहायक, अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण, राज. जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त महात्मा गांधी नरेंगा, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, आयुक्त जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, समस्त संभाग
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
13. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद समस्त।
14. उप निदेशक(जी.आई.एस./पी.एफ.सी.) आयुक्तालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को अभियान की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

आयुक्त